प्राक्कथन

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए चार खण्डों यथा अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन खण्ड I एवं II, निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और 'रेलवे वित्त' पर एक प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

इस खण्ड 'अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन खण्ड I' में वर्ष 2011-12 में किए गए तीन विषयक अध्ययनों और एक निष्पादन लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा निष्कर्षो को शामिल किया गया है।

रेल मंत्रालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 के अंतर्गत और लेखापरीक्षा एवं लेखाओं पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के विनियमों के अनुसार की गई थी।

---x---